प्रा०५

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in, ई-मेल : bseapatna@gmail.com

पटना/ दिनांक 11/09/2019

अधिसूचना

संख्या-नि० प्रा०/नि० 1-05/2019 ...1407..... चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा **परिशिष्ट-1 में उल्लिखित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों, जिनके निर्वाचन देय हैं या जो अधिक्रमित हैं, का निर्वाचन** कराने का निर्णय लिया गया है।

बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव आदि पद सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) पद, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद आरक्षित किये जायेंगे।

iii) उपर्युक्त आरक्षित पदों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल पदों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।

vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है

कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा **परिशिष्ट-2** में अंकित कार्यक्रम के अनुसार **परिशिष्ट-1** में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के अध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु **24.10.2019 (गुरूवार)** की तिथि नियत करता है तथा संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने-अपने प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने **पत्र संख्या-1156 दिनांक 24.07.2019** द्वारा मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि **दिनांक 30.06.2019** निर्धारित की गयी है एवं तद्नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन **दिनांक 21.08.2019** को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

संबंधित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार **दिनांक 24.09.2019 (मंगलवार)** को **प्रपत्र-ई० 1** में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। **परिशिष्ट-3 पर प्रपत्र ई0-1 में आरक्षणवार पदों की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।**

जिन प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को **प्रपत्र- ई 3** में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को **प्रपत्र-ई० 18** में पूर्ण सूचनायें उन्हीं तिथियों को फैक्स **(0612-2231562)** तथा ई-मेल **(bseapatna@gmail.com)** द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नक: यथोक्त।

11/9/19

(गिरीश शंकर)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1407 पटना/ दिनांक 11/09/2019

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 1407 पटना/ दिनांक 11/09/2019

प्रतिलिपि: प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/ संबंधित उप विकास आयुक्त -सह- नोडल पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) से अनुरोध है कि इस अधिसूचना की पर्याप्त प्रतियां अपने स्तर पर तैयार कर संबंधित निर्वाचन पदाधिकारियों को निश्चित रूप से निर्धारित समय के पूर्व उपलब्ध करा देंगे।

3. संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को निदेशित किया जाता है कि प्राधिकार के पत्रांक-8933 दिनांक-15.06.2012 द्वारा प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन संचालन हेतु निर्गत आवश्यक अनुदेश का अनुसरण आवश्यक संशोधनों के साथ (Mutatis Mutandis) करेंगे। यह अनुदेश प्राधिकार के वेबसाईट http://bsea.bih.nic.in पर उपलब्ध है। विहित प्रपत्रों की प्रति सहकारी समितियों के **निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका** में उपलब्ध है।

11/9/19

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : ...1407........... पटना/ दिनांक ...11/09/2019...

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, कम्फेड, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, कतीरा, आरा- 802301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : ...1407... पटना/ दिनांक ...11/09/2019

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने स्तर से कृपया निदेश निर्गत करना चाहेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : ...1407... पटना/ दिनांक ...11/09/2019

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : ...1407... पटना/ दिनांक ...11/09/2019

प्रतिलिपि: मुख्य चुनाव पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना के कोषांग/ संयुक्त सचिव/ प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी/ सांख्यिकी पर्यवेक्षक, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

निर्वाचन देय दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों की सूची:-

क्र०	जिला	प्रखंड	प्राथमिक दुग्ध सहयोग समिति का नाम	शीर्ष सहकारी समिति का नाम, जिससे सम्बद्ध है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	रोहतास	काराकाट	गछई	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
2	रोहतास	नोखा	तराढ़	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
3	रोहतास	दिनारा	रामपुरलख	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
4	रोहतास	दिनारा	कंचन भगवानपुर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
5	रोहतास	दिनारा	कोरी	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
6	रोहतास	दिनारा	करंज	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
7	रोहतास	दिनारा	अरंग	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
8	रोहतास	बिक्रमगंज	महिला खरूऑ	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
9	रोहतास	दावथ	ईटवा	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
10	रोहतास	दावथ	हमीर डिहरी	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
11	रोहतास	कोचस	नरवर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
12	कैमूर	कुदरा	ससना	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
13	कैमूर	नुआँव	गोड़सरा नुआँव	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
14	कैमूर	नुआँव	अखिनी	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
15	कैमूर	चैनपुर	सतौना	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
16	बक्सर	केसठ	कतकिनार	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
17	बक्सर	राजपुर	बन्नी	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
18	बक्सर	ब्रह्मपुर	कुरूथियॉ	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
19	बक्सर	इटाढ़ी	हकीमपुर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
20	बक्सर	इटाढ़ी	हरपुर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
21	बक्सर	बक्सर	कुल्हरियॉ	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
22	बक्सर	चौसा	नावर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
23	बक्सर	राजपुर	खरबनियॉ	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
24	भोजपुर	संदेश	बिछिआँव	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
25	भोजपुर	अगिऑव	छपरापुर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
26	भोजपुर	सहार	गुलजारपुर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
27	भोजपुर	पीरो	सुगीबाल जगदीशपुर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
28	भोजपुर	पीरो	बथान	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
29	भोजपुर	पीरो	गोंगसर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
30	भोजपुर	उदवन्तनगर	जैतपुर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
31	भोजपुर	उदवन्तनगर	सखुआ	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
32	भोजपुर	जगदीशपुर	ज्ञानपुरा	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
33	भोजपुर	जगदीशपुर	दीघा	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
34	भोजपुर	जगदीशपुर	सुलतानपुर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
35	भोजपुर	जगदीशपुर	असुधर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
36	भोजपुर	अगिआँव	खनेट	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
37	भोजपुर	अगिआँव	अगिआँव	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	

क्र०	जिला	प्रखंड	प्राथमिक दुग्ध सहयोग समिति का नाम	शीर्ष सहकारी समिति का नाम, जिससे सम्बद्ध है।	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
38	भोजपुर	आरा सदर	बेहरा	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
39	भोजपुर	चरपोखरी	लिलारी	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
40	भोजपुर	शाहपुर	बरिसवन	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
41	भोजपुर	शाहपुर	बड़की सहजौली	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
42	भोजपुर	तरारी	महिला नौआ	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
43	भोजपुर	तरारी	राजपुर	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	
44	भोजपुर	गड़हनी	पड़रिया	शाहाबाद दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०	

परिशिष्ट–2

प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र–ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	24.09.2019 (मंगलवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	11.10.2019 (शुक्रवार) एवं 12.10.2019 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	14.10.2019 (सोमवार) एवं 15.10.2019 (मंगलवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	17.10.2019 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	24.10.2019 (गुरूवार) 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	24.10.2019 (गुरूवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)

परिशिष्ट–3

..................प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग
समिति लिमिटेड का निर्वाचन

प्रपत्र- ई०–1

सूचना का प्रपत्र

जिला ...., प्रखंड ....के अन्तर्गत.................................(समिति का नाम) के अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक........................को किया जाना है,

मैं...निर्वाचन पदाधिकारी एतद् द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है :-

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1	2
अध्यक्ष	01 पद (अनारक्षित)
सदस्य	12 पद
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	02 पद (आरक्षित) जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित
• पिछड़ा वर्ग	02 पद (आरक्षित) जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित
• अति पिछड़ा वर्ग	02 पद (आरक्षित) जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित
• सामान्य वर्ग	06 पद, जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित

(ii) अध्यक्ष के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे।

(iii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.. (स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में...(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को .... (स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक .... (नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक................................से दिनांक..............................तक ....बजे से...................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(v) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक........................को................................ (स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी।

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक......................................को अपराह्न .... बजे के पूर्व तक .... (स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है।

*(vii) प्रपत्र-ई 6 तथा प्रपत्र- ई 7 जारी किये जाने के पश्चात् विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा।

(viii) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक..को निम्नांकित मतदान केन्द्र/ केन्द्रों पर 7 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगा:-

मतदान केन्द्र संख्या	मतदान केन्द्र का नाम
(1)	
(2)	
(3)	

(ix) मतगणना दिनांक ....को ....बजे से .... (स्थान का नाम) में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जायेगी।

स्थान -

तिथि -

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

---

*जो लागू न हों, उसे काट दें।